न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेत कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 183 सन 2019
अनवान :—

1. रामप्रताप पुत्र ज्वानाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. सोहनलाल पुत्र ज्वानाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता , सिचाई विभाग नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादी

3. पालाराम पुत्र ज्वानाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
4. भगवन्ती पत्नि हरिसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. संजीव कुमार 6. सुमेरसिह 7. इन्द्रादेवी 8.उर्मिला देवी पुत्रियान हरिसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 17/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 85/78 के प0न0 368/371(46) किला न0 3/0.2270 , 4/0.2280 ,5/0.2020 ,6/0.2270 ,7/0.253 ,14/.253 ,15/0.2270 ,17/0.253, कुल 1.8700हैक्‍ प0न0 369/371(47) किला न0 1 ,2/0.506 , 3/0.0880 ,8/0.1010 ,9 ता 12/0.253 ,13/0.1390, कुल 1.8460हैक्‍ प0न0 369/371(54/9) किला न0 0 की 0.0760 ,गै0मु0 खाला व प0न0 369/371(56/34) के किला न0 0 की 0.0760हैक्‍ गै0मु0 रास्ता कुल 3.8680हैक्‍ भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 पति व हरिसिह के नाम से सहखातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया है अब मौके पर प0न0 368/371(46) किला न0 5 ,6 ,15 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में 2—2 बिश्वा गै0मु0 खाला दर्ज जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अपने खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 से निवेदन किया की गैर0मुमकिन खाला की भूमि को सिचाई विभाग द्वारा खाला निरस्त करने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम बतौर मुमकिन दर्ज की जावे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया है।

वादी का वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 88/78 के प0न0 369/371(54/9) के किला न0 0 की 0.0760 ,हैक्‍ गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन भूमि धोषित की जाकर प0न0 368/371(46) के किला न0 5 ,6 ,15 प्रत्येक में 0.0250हैक्‍ भूमि शामिल कर वादीगण के 1/2 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के सयुक्त रूप से 1/4 हिस्स सहखातेदारी में दर्ज की जावे।

वादी का प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 तरतीबी प्रतिवादी होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाब पेश किया की चक 2 जेएसएन की संशोधित स्वीकृत चक स्कीम के अनुसार प0न0 368/371 के किला न0 5 ,6 ,15 में कोई खाला नही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की खाला की भूमि सिचाई विभाग से सम्बधित है जिसकी रिपोर्ट/जबाब के अनुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 85/78 के प0न0 368/371(46) किला न0 3/0.2270 , 4/0.2280 ,5/0.2020 ,6/0.2270 ,7/0.253 ,14/.253 ,15/0.2270 ,17/0.253, कुल 1.8700हैक प0न0 369/371(47) किला न0 1 ,2/0.506 , 3/0.0880 ,8/0.1010 ,9 ता 12/0. 253 ,13/0.1390, कुल 1.8460हैक प0न0 369/371(54/9) किला न0 0 की 0.0760 ,गै0मु0 खाला व प0न0 369/371(56/34) के किला न0 0 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता कुल 3.8680हैक भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 पति व हरिसिह के नाम से सहखातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया है अब मौके पर प0न0 368/371(46) किला न0 5 ,6 ,15 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में 2–2 बिश्वा गै0मु0 खाला दर्ज जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अपने खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की और से पेरोकार राज ने निवेदन किया की सिचाई विभाग चक 2 जेएसएन के संशोधित स्वीकृत चक स्कीम के अनुसार प0न0 368/371 के किला न0 5 ,6 ,15 में कोई खाला नही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की खाला की भूमि सिचाई विभाग से सम्बधित है जिसकी रिपोर्ट/जबाब के अनुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 85/78 के प0न0 368/371(46) किला न0 3/0.2270 , 4/0.2280 ,5/0.2020 ,6/0.2270 ,7/0.253 ,14/.253 ,15/0.2270 ,17/0.253, कुल 1.8700हैक प0न0 369/371(47) किला न0 1 ,2/0.506 , 3/0.0880 ,8/0.1010 ,9 ता 12/0.253 ,13/0. 1390, कुल 1.8460हैक प0न0 369/371(54/9) किला न0 0 की 0.0760 ,गै0मु0 खाला व प0न0 369/371(56/34) के किला न0 0 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता कुल 3.8680हैक भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 पति व हरिसिह के नाम से सहखातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें चक 2 जेएसएन के प0न0 368/371 के किला न0 5 ,6 ,15 में कुल 0.0760हैक गै0मु0खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर के पत्रांक 644 दिनांक 10.06.2019 के अनुसार चक 2 जेएसएन के संशोधित चक स्कीम के अनुसार प0न0 368/371 के किला न0 5, 6 ,15 कुल 0. 076हैक खाला स्वीकृत नही हुआ है व अपने कथनो के समर्थन में चक 2 जेएसएन का संशोधित चक प्लान प्रस्तुत किया गया है

प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोई खाला नही है पूर्व में उक्त किला नम्बरान में खाला होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था वर्तमान में खाला स्वीकृत नही होने के कारण सम्बधित काश्तकार खाला की भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की ही होती है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सिचाई विभाग के संशोधित चक स्कीम /रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 88/78 के प0न0 369/371(54/9) के किला न0 0 की 0.0760 ,हैक गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन भूमि धोषित की जाकर प0न0 368/371(46) के किला न0 5 ,6 ,15 प्रत्येक में 0.0250हैक भूमि शामिल कर वादीगण के 1/2 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के सयुक्त रूप से 1/4 हिस्स सहखातेदारी धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र ज्वानाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. सोहनलाल पुत्र ज्वानाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर (हनुमानगढ)

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

2 अधिशाषी अभियन्ता , सिचाई विभाग नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादी

3 पालाराम पुत्र ज्वानाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।

4 भगवन्ती पत्नि हरिसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

5 संजीव कुमार 6. सुमेरसिह 7. इन्द्रादेवी 8.उर्मिला देवी पुत्रियान हरिसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 183 सन 2019 निर्णय दिनांक–17/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 88/78 के प0न0 369/371(54/9) के किला न0 0 की 0.0760 ,हैव गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन भूमि धोषित की जाकर प0न0 368/371(46) के किला न0 5 ,6 ,15 प्रत्येक में 0.0250हैक भूमि शामिल कर वादीगण के 1/2 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 के 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के सयुक्त रूप से 1/4 हिस्स सहखातेदारी धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)